भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 483
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सतत अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां

483. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में नगर निगमों के साथ मिलकर अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक सतत तरीके से संभालने के लिए काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या पहल की गई और प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकार द्वारा समर्थित परियोजनाओं की संख्या कितनी है और ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वित्तीय परिव्यय कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन पर नीतिगत दिशा प्रदान करने और पारम्परिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को सभी राज्यों द्वारा अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण पहल, आईईसी और व्यवहार परिवर्तन अभियानों को बढ़ावा देकर और अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमताओं में कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाकर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्राप्त किया जा सके। इसके लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और मौजूदा पुराने अपशिष्ट डंपसाइटों के सुधार के लिए शहर ठोस अपशिष्ट कार्य योजना (सीएसडब्ल्यूएपी) तैयार करते हैं और उन्हें निधियों की मांग करने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

केंद्रीय वित्तीय सहायता अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) और अपशिष्ट से बिजली सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र आदि की स्थापना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त प्रकार के एसडब्लूएम संयंत्रों का निर्णय लेने के लिए प्रदान की जाती है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत केंद्रीय हिस्सें की निधि राज्यों को जारी की जाती है, जो आगे अपनी कार्य योजना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के हिस्से के साथ निधि वितरित करते हैं।

एसबीएम-यू के तहत पूरी मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रुपये है, जिसमें 14,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपये है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। एसबीएम -यू के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 2 अक्तूबर, 2014 से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम-यू के तहत रिपोर्ट की गई सभी परियोजनाओं का विवरण एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

(घ): शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्यों/यूएलबी के प्रयासों में सहायता करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल/प्रक्रियाओं के मानक (एसओपी) साझा करके नीति निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए समय-समय पर विभिन्न सलाह और दिशानिर्देश जारी करता है। शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन यूएलबी/राज्य सरकारों को करना है ।

क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत में शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है जिसे आईआईएम इंदौर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा, एसबीएम-यू 2.0 की योजना बनाने और उसे लागू करने में राज्यों और शहरों को सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं को स्वच्छता ज्ञान साझेदार (एसकेपी) के रूप में पैनल में

शामिल किया गया है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क में एक-दूसरे से सीखने के लिए अंतर-शहर प्रदर्शन दौरों, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन में एसएचजी और अनौपचारिक क्षेत्र, विभिन्न प्रशिक्षण आदि को बढ़ावा देने के प्रावधान भी किए गए हैं। कुल मिशन परिव्यय में से 3% क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। एसबीएम-यू के तहत क्षमता निर्माण घटक के लिए 609.27 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी निर्धारित की गई थी, जिसे एसबीएम-यू 2.0 के तहत तीन गुना से भी अधिक बढ़ाकर 2118.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"**सतत अपशिष्ट प्रबंधन**" के संबंध में 06.02.2025 को उत्तर **दिए जाने** के लिए नि**य**त लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के भाग (**क**) से (**ग**) के उत्तर में **उल्लिखित** अनुलग्नक

एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि**
2014-2015	859.48
2015-2016	1108.09
2016-2017	2137.24
2017-2018	2540.60
2018-2019	2509.73
2019-2020	1298.59
2020-2021	1000.22
2021-2022	1969.20
2022-2023	1934.50
2023-2024	2392.49
2024-2025	1381.43 (25.01.2025 तक)

******